


आभिलषित उपायों की दिशा में



राष्ट्रीय लोक अदालत

अवार्ड (पंचाट)

हनीफ
वनाम राज्य सरकार
पार्थी / वादी हनीफ पुत्र बलिमारु जाति मेव मिकारी पुरेडी
अपार्थी / प्रतिवादी राज्य सरकार जर्मि पुरेडी सरकार तहसीलदार
प्रकरण संख्या 53 सन 22
न्यायालय 342995 अधिकारी, तिजारा जिला - अलवर
(1) सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत
(2) सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत
(3) सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत


दिनांक 13/08/22

राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष निर्दिष्ट किए विवाद पर पक्षकारों ने समझौता कर लिया है और समझौते के आधार पर निम्नलिखित अधिनिर्णय सहमति से पारित किया जाता है। कि पार्थी


पुत्र अन्तगति धारा 28 मु-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना प्रमाणिक मौका पंचाट वीसाज्ञान दिनांक 04.02.2022 के अनुसार थाराजी बसरा नंबर 276 रकबा 0.2300 हेक्टर वाके जाम डोगना तहसील तिजारा जिला अलवर की आपसी सहमति से पत्थरगदी किए जाने के आदेश दिये जाते हैं।

न्यायालय फीस यदि किसी पक्षकार द्वारा अदा की गई है तो सम्बन्धित पक्षकार उससे वापस प्राप्त करने का अधिकारी होगा। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे।

हस्ताक्षर वादी / पार्थी


(सदस्य) सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
तालुका विधिक सेवा समिति

हस्ताक्षर प्रतिवादी / अपार्थी
राज्य सरकार
उपायुक्त आभिलषित विभाग


अध्यक्ष (सदस्य)
तालुका विधिक सेवा समिति
राष्ट्रीय लोक अदालत
तिजारा (अलवर) राज

तारीख
दुयम

हुकम या कार्यवाही गंग इनिशियल्स राज

10/08/22

आज पत्रावली पत्रों की कुलमाफ 3 म्य
पत्रों व अन्य आदेशों सारणीय लॉड अदालत
के दिनांक 13/8/22 से पत्रों को
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

13/08/22

आज पत्रावली राष्ट्रीय लॉड अदालत में पत्रों
की कुलमाफ उपरोक्त निर्दिष्ट प्रकृत 17 लिफ्ट
ज्यास कुले जादा के हुनादा गंग 2170/10000
होकर पत्रों बाड निर्दिष्ट तमसील नंबर 17 45
होकर साफे इफ्त को
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०